न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 13 / 2025.(GCMS : 2025/509)

हंसराज गुप्ता पुत्र स्व. श्री डूंगरमल गुप्ता उम्र 73 साल निवासी मकान नं0 181 के, गली नं. 02, एसएसबी मार्ग, चक 3 ई छोटी, शिव नगर, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **संजय** पुत्र हंसराज निवासी मकान नं0 181 के, गली नं. 02, एसएसबी मार्ग, चक 3 ई छोटी, शिव नगर, श्रीगंगानगर (राज.)
2. **सुनीता देवी** पत्नी संजय निवासी मकान नं0 181 के, गली नं. 02, एसएसबी मार्ग, चक 3 ई छोटी, शिव नगर, श्रीगंगानगर (राज.)
3. **गगन** पुत्र संजय निवासी मकान नं0 181 के, गली नं. 02, एसएसबी मार्ग, चक 3 ई छोटी, शिव नगर, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हसंराज गुप्ता एवं रेस्पोडेंट संख्या 01– संजय कुमार, उपस्थित हुए। उपभयपक्ष को सुना गया। रेस्पोडेंट संख्या 2 सुनीता देवी एवं रेस्पोडेंट संख्या 3– गगन उपस्थित नहीं हुई।

अपीलार्थी श्री हंसराज गुप्ता ने कथन किया कि उसने प्रार्थना पत्र में अपने मकान नं. 181, गली नं. 02, चक 3 ई छोटी एसएसबी मार्ग, साईज 19 गुणा 55 जिसमें तीन कमरे, लैट्रीन, बाथरूम व रसोई बनी हुई है। जिसमे से प्रार्थी को मारपीट कर जबरन घर से निकाल दिया गया था तथा ताला तोड़कर सारा सामान भी चोरी कर लिया गया था तथा मकान में रखा बाकी सामान भी खुर्दबुर्द कर दिया गया था, जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे है, को सम्पूर्ण रूप से बेदखल करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे पूर्ण कब्जा नहीं दिलावाने के आदेश दिये थे।,

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में प्रार्थी को मात्र 8 गुणा 8 का कमरा ही दिया गया है, इसके अलावा अन्य कोई सुविधा नहीं दी गई है तथा लडाई झगडा, गाली गलौच व तंग परेशान पूर्व की भांति की किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आये साक्ष्य व दस्तावेजों का सही व समग्र अध्ययन नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी 73 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा बिमारियों से घिरा हुआ है तथा सिविल प्रक्रिया में मकान खाली करवाने हेतु लम्बी प्रक्रिया है, जिसमें कई साल लग जाते है। ऐसी सूरत में प्रार्थी को सुखमय जीवन जीने के लिए मकान की आज आवश्यकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न करके कानूनी भूल की है। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश अपारत किये जाने योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने भी दोहराया है कि वरिष्ठ नागरिकों के रख रखाव की जिम्मेदारी से मुकरने पर बच्चों को प्रोपर्टी से निकाला जा सकता है। पूर्व में श्रीमान न्यायालय ने भी मकान खाली करने के आदेश दिये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा एक पुत्र एवं एक पुत्री ओर भी है परन्तु पुत्री शादीशुदा है तथा उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं हैं इसके अलावा प्रार्थी के दूसरे पुत्र का जिक्र किया है वह दिनांक 11.04.1993 से आज दिनांक तक लापता है, जिसका आज तक कोई पता नहीं लगा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी एफसीआई के पैनल हॉस्पीटल आईवीआई हॉस्पीटल, बठिण्डा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी CAD, Hypothyroidism oa knees & shoulders बीमारी से ग्रस्त है तथा वर्तमान में उपचाराधीन है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था तथा प्रार्थी का सारा सामान भी अपने कब्जो में ले लिया गया था, इस दौरान प्रार्थी को मजबूर लीला धर्मशाला में निवास करना पड़ा था और पुलिस थाना जवाहर नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी को पुनः अपने में दाखिल करवाया गया था परन्तु आज भी प्रार्थी एक छोटे से कमरे में निवास कर रहा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण जिस मकान में निवास कर रहे है, वह प्रार्थी का है तथा प्रार्थी ने अपनी आय से बनाया है। अप्रार्थी अपने वृद्ध पिता की सेवा करने में असमर्थ है, इसलिए उसे सम्पत्ति से बेदखल किया जावे।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी की 70,000/– रूपये मासिक आय होना बताया है जो बिलकुल बेबुनियाद व निराधार है। प्रार्थी के पास सेवानिवृति के समय मिल राशि बैंक में जमा है, जिससे उसे मात्र 8000/– प्रति माह की ही आय होती है। इसके अलावा प्रार्थी को 2048/– रूपये प्रतिमाह विभाग की ओर से एफपीएएस के तहत राशि प्राप्त होती हैं, जबकि अप्रार्थी 50,000/– रूपये प्रतिमाह की आमदनी प्राप्त करता है। इसलिए प्रार्थी के अप्रार्थीगण से उसका उक्त विवादित मकान वापिस दिलवाने, मकान के मूल दस्तावेज और अन्य सामान वापिस करवाये जाने की प्रार्थना की है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी राज्य सेवा से रिटायर्ड कार्मिक है, जिन्हें मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है। पेंशन धारक होने के कारण वे आश्रित की श्रेणी में नहीं आते है, इस कारण से उक्त अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने स्वयं ने उसके पास नगद राशि होना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के पास कोटकपूरा में दो मकान एवं गंगानगर में भी तीन–चार प्लॉट है एवं दस हजार रूपये की प्रतिमाह इन्कम स्वयं अपीलार्थी द्वारा स्वीकार की गई है। इसलिए अप्रार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिस मकान में पक्षकारान निवास कर रहे है **वह मकान भी अप्रार्थी की माता के नाम से है जिस कारण से अपीलांट उक्त मकान का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।** उनके द्वारा अपीलांट के साथ किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया और ना ही कोई मारपीट की गई है। अपीलांट के द्वारा केवल तंग परेशान करने के लिए अपील की गई है, जो खारिज करने लायक है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलांट, रेस्पोडेंट से जबरदस्ती विवादित मकान खाली करवाना चाहता है जबकि **उक्त मकान रेस्पोडेंट की माता के नाम से है जो कि वर्ष 2016 में अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंट की माता को बेचान कर दिया गया था तथा प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई थी।** इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पेश करने के आधार पर अपील हर्जाने के साथ खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया था कि अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे 20,000/– प्रतिमाह दिलाये जाने एवं प्रार्थी के स्वामित्व के मकान से अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे से अप्रार्थीगण को बेदखल कर, कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करने की **प्रार्थना की थी** जिस पर **उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 18.11.2025 को निर्णय पारित निम्नानुसार आदेश दिया गया :**

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पुत्र है। अतः प्रार्थी के पुत्र होने के कारण उनका दायित्व बनता है कि वह प्रार्थी (अपने पिता) का भरण पोषण करें। अतः माता–पिता एंव वरिष्ठ नागरिक का भरण –पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 के अन्तर्गत आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की घरेलू जरूरते यथा रोटी, कपड़ा, मेडिकल सुविधाएं प्रदान करेगें। साथ प्रार्थी के स्वयं के मकान में निवास हेतु एक कमरा उपलब्ध करवायेगें। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के सामान्य जवीन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें, प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करने एवं प्रार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषध रहें।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 18.11.2025 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) ''सन्तान'' के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
> **2(ख) ''भरण पोषण'' के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्चा और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है** इसलिए सुनीता रानी अप्रार्थी संख्या 2 –पुत्रवधु है इसलिए **अपीलार्थी अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

जहां तक विवादित मकान नं. 181, गली नं. 02, चक 3 ई छोटी, एसएराबी मार्ग, साईज 19 गुणा 55, का प्रश्न है, जो अपीलार्थी ने अपने नाम से रजिस्टर्ड बैयनामा होना बताया है जबकि रेसपोडेंट संख्या 01 ने उक्त विवादित मकान अपनी माता के नाम से दर्ज होना बताया है, जिसे अपीलार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

ने दिलवाने की प्रार्थना की है। **माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है तो भरण पोषण न करने की सूरत में ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है।** जिसके सम्बन्ध में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> 23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा : (1) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहाँ सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

विचाराधीन प्रकरण में उक्त विवादित मकान नं. 181, गली नं. 02, चक 3 ई छोटी, एसएसबी मार्ग, साईज 19 गुणा 55, वर्तमान में किसके नाम से पंजीबद्ध है, तथा माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के लागू होने के बाद उक्त मकान किसी प्रकार की शर्त के अधीन पंजीबद्ध किया है, का कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। इसलिए **उक्त विवादित** मकान नं. 181, गली नं. 02, चक 3 ई छोटी, एसएसबी मार्ग, साईज 19 गुणा 55 को अपीलार्थी को **दिलाने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपीलार्थीगण उक्त विवादित सम्पत्ति हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र/पोते से भरण पोषण की हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है। किन्तु अपीलार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2025 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है इसलिए **अपीलार्थीगण माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं**

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थीगण का प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें। अपीलार्थी को गरिमपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए अप्रार्थीगण, अपीलार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 18.11.2025 को पुष्ट किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर